क्रमांक डी0वी0एस0एल0एन0–ग्राम सभा बैठक–2023
कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन

प्रेषित,

समस्त ग्राम पंचायत सचिव,
विकास खण्ड सोलन
दिनांक 3–4–2023

विषयः– ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा।

ज्ञापन,

निदेशक ग्रामीण विकास विभाग, हि0 प्र0 के कार्यालय पत्र संख्या **SMJ-120/2012-13(बड)RDD-11-4632-43** दिनांक 16–3–2023 की अनुपालना में उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है की अप्रैल 2023 की प्रथम ग्राम सभा बैठक में बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा 13–7–2018 में लिए गए निर्णय अनुसार की जानी है। ग्राम सभा बैठक में बी0पी0एल0 सूची में चयनित परिवारों की पात्रता का पुनरावलोकन करते हुए अपात्र पाए जाने वाले परिवारों के नाम सूची से हटाए जाने है व पात्र परिवारों का नाम सूची में चयन किए जाने है। बी0पी0एल0 सूची में पात्र परिवारों के चयन हेतू तय किए गए मापदण्डों की सूची व 13–7–2018 में बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा हेतू लिए गए निर्णय की अधिसूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको आदेश दिए जातें है कि आप इन पत्रों के अनुसार बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा करे।

ग्राम सभा बैठक से 7 दिन पूर्व बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा किए जाने का नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी करे और इसे सर्वसाधारण की जानकारी हेतू ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर भी लगाए। वार्ड सदस्यों के माध्यम से भी इसकी जानकारी ग्राम पंचायत के समस्त धरों को देना सुनिश्चित करे।

इस नोटिस में बी0पी0एल0 सूची में नाम शामिल करने या चयन बारे आपत्ति से सम्बन्धित आवेदन ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करने की तिथि का भी निंधारण करे। निंधारण तिथि तक ऐसे सभी आवेदन /आपत्ति की सूची तैयार की जाए।

विभाग की अधिसूचना दिनांक 13–7–2018 द्वारा जारी निंदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत की वर्तमान बी0पी0एल0 सूची में दर्ज परिवारों के मुखिया से धोषणा पत्र यदि नही लिए गये है तो ऐसे सभी परिवारों से धोषणा पत्र ग्राम सभा बैठक की तिथि से पूर्व प्राप्त कर लिए जाए। बी0पी0एल0 सूची में नाम दर्ज करने के लिए प्राप्त हुए आवेदन के साथ प्रत्येक आवेदनकर्ता परिवार के मुखिया से भी निंधारित धोषणा पत्र प्राप्त करना भी सुनिश्चित किया जाए।

ग्राम सभा बैठक की निंधारित तिथि से पहले अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें सम्बन्धित पंचायत सचिव, पटवारी/राजस्व विभाग प्रतिनिधी तथा अधोहस्ताक्षरी द्वारा नांमित एक स्थानीय कर्मचारी/पंचायती राज प्रतिनिधी सदस्य होगे। ग्राम सभा बैठक के लिए पर्यवेक्षक की नियुक्ति भी की जाएगी। तीन सदस्य कमेटी का यह दायित्व होगा कि बी0पी0एल0 चयन के लिए पूर्व में निंधारित मापदण्डों के अनुसार (सर्वेक्षण प्रपत्र में दर्शाए गए मानकों के आधार पर)तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत धोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 सूची में वर्तमान में दर्ज परिवारों, सूची में नाम दर्ज करने हेतू प्राप्त हुए

आवेदनों और किसी चयन पर आपत्ति से सम्बन्धित प्राप्त आवेदनों की छानबीन करके सभी पात्र परिवारों की एक प्राथमिक सूची (Priority List) संयुक्त हस्ताक्षरों से तैयार करे। कमेटी द्वारा तैयार की गई इस प्राथमिक सूची को ग्राम सभा की निंधारित बैठक में समीक्षा हेतू प्रस्तुत किया जाएगा।

ग्राम सभा की बैठक में किसी व्यक्ति के चयन पर विवाद होने की स्थिति में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ग्राम सभा बैठक की कार्यवाही सभा स्थल पर बैठक के दिन ही पंचायत सचिव/सहायक द्वारा लिखी जानी सुनिश्चित की जाएगी। कार्यवाही लिखे जाने के उपरान्त ग्राम सदस्यों को सभा स्थल पर पढकर सुनाई जाएगी।

ग्राम पंचायत के लिए बी0पी0एल0 परिवारों की निंधारित संख्या को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा के द्वारा पात्र परिवारों का चयन किया जायेगा और यदि पात्र परिवार उपलब्ध न हो तो ग्राम सभा चयन के लिए बाध्य नही है। ग्राम सभा द्वारा बी0पी0एल0 परिवारों के चयन के उपरान्त ग्राम पंचायत की नवीनतम बी0पी0एल0 सूची तैयार की जाएगी।

जिन आवेदन या आपत्ति को ग्राम सभा द्वारा अस्वीकृत किया जाएगा या बी0पी0एल0 सूची से जिन परिवारों के नाम अपात्रता के कारण हटाए जाएगें उन सभी का ब्यौरा भी कारणों सहित रिर्कोड में दर्ज किया जाएगा।

ग्राम सभा के निर्णय पर किसी व्यक्ति या परिवार को आपत्ति हो तो विभाग के पत्र दिनांक 25–6–2015 में निंधारित प्रकिया अनुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जा सकती है। पत्र की प्रति साथ संलग्न है।

विभाग के दिशार्निदेशानुसार बी0पी0एल0 परिवारों के चयन से सम्बन्धित ग्राम सभा बैठक कार्यवाही की यथा संभव वीडीओ रिर्कोडिंग करवाना भी सुनिशिचित करें व समस्त प्रकिया में पारदर्शिता रखी जाए।

समीक्षा के उपरान्त नवीनतम बी0पी0एल0 सूची को ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर लगाना व अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के भीतर–2 देना सुनिशिचित करें।

खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन

पृष्ठांकन संख्या   दिनांक   सोलन

प्रतिलिपीः–1 निदेशक ग्रामीण विकास विभाग, हि0 प्र0 को उनके कार्यालय पत्र संख्या SMJ-120/2012-13(बड)RDD-11-4632-43 दिनांक 16–3–2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रस्तुत है।

2 उप–निदेशक एवम परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सोलन, जिला सोलन हि0 प्र0 की सेवा में प्रस्तुत है।

खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड सोलन

ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा हेतु दिशा–निर्देश

- भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी बी0पी0एल0 सर्वेक्षण गाईडलाईन 2002 के प्रावधान (If any household crosses the cut-off score on a sustainable basis, that household may be deleted from the BPL list. Such review for deletions may be made by the concerned Gram Sabha once in a year) के दृष्टिगत विभागीय अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई,2018 में निर्णय लिया गया कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले (BPL) चयनीत परिवारों की सूची की समीक्षा ग्राम सभा द्वारा हर वर्ष अप्रैल माह में आयोजित होने वाली प्रथम बैठक में की जाएगी ताकि सूची में चयनीत परिवारों की पात्रता का पुनरावलोकन करते हुए अपात्र पाए जाने वाले परिवारों के नाम सूची से हटाये जा सके तथा पात्र परिवारों का ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 सूची में चयन सुनिश्चित हो सके ।
- बी0पी0एल0 सूची में पात्र परिवारों के चयन को सुनिश्चित करने बारे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले परिवारों का चयन बी0पी0एल0 सूची में नहीं किया जाएगा :–
    - ऐसे परिवार जिनके पास दो हैक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि अथवा एक हैक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि हो ।
    - ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए आधुनिक शहरी प्रकार का पक्का/बड़ा निजी मकान हो।
    - जिस परिवार का कोई सदस्य आयकर देता हो।
    - जिस परिवार के पास चार पहिया वाहन जैसे कि कार, मोटर, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक और बस इत्यादि हो।
    - जिस परिवार की वेतन,पैन्शन,भत्ते,मानदेय,मजदूरी तथा व्यवसाय आदि से नियमित मासिक आमदन 2500/–रू0 से अधिक हो । ऐसे परिवार जो पंचायत के कार्य में मस्ट्रोल पर कार्य करते हों, बी0पी0एल0 सूची में चयन हेतु अपात्र नहीं होगें क्योंकि वे केवल सीजनल रोजगार प्राप्त करते हैं ।
    - ऐसा परिवार जिनके घर से कोई सदस्य सरकारी नौकरी अथवा गैर सरकारी नौकरी में नियमित तौर पर या अनुबन्ध पर कार्यरत हो तथा जिसकी नियमित मासिक आमदन 2500/–रू0 से अधिक हो ।
- ग्राम सभा बैठक की तिथि से 07 दिन पूर्व बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा किए जाने का नोटिस ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा और इसे सर्वसाधारण की

हिमाचल प्रदेश सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संख्या आर0डी0डी0-120/2012-13 (बज)-आर0पी0डी0-/3 दिनांक जुलाई,2018।

अधिसूचना

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले, परिवारों (बी0 पी0 एल0) के चयन की प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से इस विभाग के पत्र दिनांक 29-01-2007 व 21-03-2013 द्वारा जारी दिशा- निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(क) प्रत्येक बी0पी0एल0 परिवार के मुखिया से ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर घोषणा पत्र (Affidavit) प्राप्त किया जाएगा :-

- कि मेरे परिवार के पास 2 हैक्टेयर से ज्यादा असिंचित भूमि या 1 हैक्टेयर से ज्यादा सिंचित भूमि नहीं है ।
- मेरे परिवार के पास रहने के लिए आधुनिक शहरी प्रकार का पक्का/बड़ा निजी घर नहीं है ।
- मेरा परिवार आयकर नहीं देता है।
- मेरे परिवार की वेतन, पैंशन, भत्ते, मानदेय, मजदूरी तथा व्यवसाय आदि से नियमित मासिक आय मु0 2500/- रू0 से अधिक नहीं है।
- मेरे परिवार से कोई सदस्य सरकारी नौकरी अथवा गैर सरकारी नौकरी में नियमित तौर पर या अनुबन्ध पर कार्यरत नहीं है।

(ख) प्रत्येक बी0पी0एल0 परिवार के कम से कम एक पात्र सदस्य को (सिवाय दिव्यांग व 70 वर्ष की आयु से अधिक सदस्यों) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) में एक वर्ष में कम से कम 20 दिन कार्य करना अनिवार्य होगा। यदि कोई परिवार इस शर्त को पूर्ण नहीं कर पाता, तो ग्राम सभा द्वारा ऐसे परिवार का नाम बी0पी0एल0 सूची से काट दिया जाएगा।

(ग) बी0पी0एल0 परिवार के कम से कम एक पात्र सदस्य को दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना या राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्थानीय स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।

(घ) यदि बी0पीएल0 परिवार का कोई सदस्य अलग परिवार के रूप में अपना नाम दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन करता है तो उस अवस्था में ऐसे नये परिवार को आगामी 3 वर्षों तक बी0पी0एल0 सूची में शामिल नहीं किया जायेगा तथा अविवाहित लोगों का परिवार बी0पी0एल0 के लिये अलग परिवार नहीं माना जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया जाता है कि :–

(1) ऐसी ग्राम पंचायतें जहां अब एक भी परिवार बी0पी0एल0 में नहीं है, उन ग्राम पंचायतों के बी0पी0एल0 परिवारों के लक्ष्य को सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा उसी विकास खण्ड की अन्य ग्राम पंचायतों में पूर्व आबंटित लक्ष्य के समानुपात बांटा जाएगा तथा विकास खण्डों व जिले का बी0पी0एल0 लक्ष्य पूर्ववत ही रहेगा। बी0पी0एल0 मुक्त ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन हेतु विभाग द्वारा विशेष अनुदान / योजना का प्रावधान किया जायेगा।

(2) विभाग द्वारा प्रदेश में हर वर्ष अप्रैल माह में होने वाली ग्राम सभा की प्रथम बैठक में ग्राम पंचायत की बी0पी0एल0 सूची की समीक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

आदेश द्वारा

(डा0आर0एन0 बत्ता),
सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचा0 राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

संख्या एस0एम0जे0–120 / 2012–13 (बड)–आर0डी0डी0–229-51 दिनांक–13/07/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु :–

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हिमाचल प्रदेश।
4. समस्त उप मण्डलाधिकारी (ना0),हिमाचल प्रदेश।
5. नियन्त्रक, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0, घोड़ा चौकी, शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हिमाचल प्रदेश।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं इस आशय सहित कि इस अधिसूचना की प्रति समस्त ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई जाए तथा ग्राम सभाओं की बैठक मे भी आम लोगो को जानकारी दी जाए।

(राकेश कंवर)
विशेष सचिव (ग्रामीण विकास एवं पंचा0 राज),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2

दूरभाष संख्या 2623820
ई0 मेल0 आई0 डी0 rddhimachal@gmail.com

संख्या एस0एम0जे0—120/2012—13 (बड)—आर0डी0डी0— 1418-81
हिमाचल प्रदेश सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेषक :—

सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार

सेवा में,

1. समस्त उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण,
हिमाचल प्रदेश।

2. समस्त उपमण्डलाधिकारी (ना0),
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक शिमला—171009 25 जून, 2015

विषय :— बी0पी0एल0 से सम्बन्धित शिकायतों के निपटारे बारे दिशा—निर्देश।

महोदय/ महोदया,

विभाग द्वारा पत्र संख्या एस0एम0जे0— 120/2012—13 (बड)—आर0डी0डी0—562—73 दिनांक 21—03—2013 द्वारा स्पष्ट दिशा—निर्देश भी जारी किये गए :—

I <u>अपात्र परिवार</u> :— निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले परिवारों का चयन बी0पी0एल0 सूची में नहीं किंया जाएगा:—

1. जिन परिवारों के पास दो हैक्टैयर से ज्यादा असिंचित भूमि अथवा एक हैक्टैयर से ज्यादा सिंचित भूमि हो।
2. जिन परिवारों के पास रहने के लिए आधुनिक शहरी प्रकार का पक्का /बड़ा निजी मकान हो।
3. जो परिवार आयकर दाता हो।
4. जिन परिवारों के पास चौपहिया वाहन जैसे कार, मोटर, जीप, ट्रैक्टर, बस इत्यादि हों।
5. जिन परिवारों का वेतन, पैन्शन, भत्ते, मानदेय, मजदूरी तथा व्यवसाय आदि से नियमित मासिक आमदन 2500/— रू0 से अधिक हो ;ऐसे परिवार जो पंचायत के कार्य में मस्ट्रोल पर कार्य करते हों, बी0पी0एल0 सूची में चयन हेतु अपात्र नहीं होंगे क्योंकि वे केवल सीजनल रोजगार प्राप्त करते हैं।
6. ऐसे परियार जिनके घर से कोई सदस्य सरकारी नौकरी अथवा गैर सरकारी नौकरी में नियमित तौर पर या अनुबन्ध पर कार्यरत हों तथा जिनकी नियमित मासिक आमदन 2500/— रू0 से अधिक हो।

II आपतियां / अपीलें :–

- यदि ग्राम सभा के निर्णय पर किसी व्यक्ति या परिवार को आपति होगी तो इस बारे एक मास के भीतर उपमण्डल अधिकारी (ना0) के पास अपील दायर की जा सकती है । यदि सम्बन्धित व्यक्ति / परिवार उप–मण्ड़लाधिकारी (ना0) के निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो सम्बन्धित उपायुक्त के पास एक मास के भीतर अपील दायर की जा सकती है।
- यदि किसी अपात्र व्यक्ति के चयन जो कि विभाग द्वारा जारी दिशा– निर्देशानुसार बी0पी0एल0 सूची में चयन की पात्रता नहीं रखता हो, के विरूद्व शिकायत उपमण्ड़लाधिकारी (ना0) अथवा उपायुक्त को प्राप्त होती है तो जॉच करवाने के पश्चात यदि आवश्यक हो तो ऐसे परिवारों को अपात्र मानते हुए उन्हें बी0पी0एल0 सूची में से हटाने के निर्देश सम्बन्धित उपमण्ड़लाधिकारी (ना0) अथवा उपायुक्त द्वारा जारी किए जांएगें जिसकी सूचना सम्बन्धित व्यक्ति को, ग्राम पंचायत, खण्ड़ विकास अधिकारी को भी दी जाएगी। हटाए जाने वाले अपात्र परिवार की जगह पात्र परिवार का चयन ग्राम सभा द्वारा अगामी बैठक में दिशा–निर्देशों में निर्धारित प्रकिया अपनाकर किया जाएगा।
- विभाग के संज्ञान में आया है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार ग्राम सभा के निर्णय के एक मास के पश्चात आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाले बी0पी0एल0 परिवारों के विरूद्व शिकायत नहीं की जा सकती है। बजट आश्वासन 2015–16 में समस्त उपमण्डलाधिकारी (ना0) को स्वतः, जॉच उपरान्त गलत चयनित परिवारों को बी0पी0एल0 सूची से हटाने की शक्तियां प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग द्वारा निम्नलिखित प्रकार से दिशा–निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है:–

1. यदि ग्राम सभा के निर्णय के एक मास के पश्चात किसी परिवार की आर्थिक स्थिति / पात्रता में बदलाव होता है, तो इस बारे शिकायत के आधार पर अथवा स्वतः, जॉच के आधार पर पाए गए अपात्र परिवारों को बी0पी0एल0 सूची से हटाने के निर्देश पारित करने के लिए समस्त उपमण्ड़लाधिकारी (ना0) सक्षम होंगे।
2. यदि शिकायतकर्ता उपमण्ड़लाधिकारी (ना0) के निर्णय से सन्तुष्ट न हो तो वह निर्णय के एक माह के भीतर–भीतर उपायुक्त के पास अपील दायर कर सकता है तथा जॉच के पश्चात आवश्यक निर्देश पारित करने के लिए उपायुक्त सक्षम होंगे।

3. शिकायतों/ आपतियों के निपटान की अवधि पूर्ववत 10 दिनों के भीतर ही होगी।

भवदीय,

(जितेन्द्र सांजटा)
संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला –9

पृष्ठांकन संख्या :– उपरोक्त – 1482-1584 दिनांक :– 25-06-2015

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले हिमाचल प्रदेश सरकार को सूचनार्थ एवं उनसे अनुरोध है कि प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार सभी श्रेणियों के राशन कार्डों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कृपा करें।

2. समस्त परियोजना निदेशक/ उप निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

3. समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/प्रचार हेतु।

(जितेन्द्र सांजटा)
संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला –9